UPKS010018382026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश अ0जा0 / अ0ज0जा0 (अ0नि0) अधिनियम, कौशाम्बी।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–75 / 2026

रंजीत पटेल पुत्र फूलचन्द्र पटेल, निवासी ग्राम अरई सुमेरपुर, थाना–चरवा, जनपद–कौशाम्बी।

. . . . . अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

. . . अभियोजन

04.06.2026

1. जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त **रंजीत पटेल** की ओर से मु.अ.सं.–227 / 2025 अंतर्गत धारा–115(2), 352, 351(2) बी.एन.एस. एवं धारा 3(2)va व 3(1) ध अ0जा0 / अ0ज0जा0 (अ0नि0) अधिनियम, थाना चरवा, जनपद कौशाम्बी के मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त अन्तरिम जमानत पश्चात् आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. वादी मुकदमा को प्रेषित नोटिस तामील है।

3. मैंने आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना, केस डायरी व अन्य सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4. अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी गांव के ही लल्लू केशरवानी का ट्यूबवेल मजदूरी पर चलाता था। घटना दिनांक 17.11.2025 को समय करीब रात्रि 9:00 बजे प्रार्थी घर चला आया खाना खाने तो प्रार्थी का लड़का एकलव्य ट्यूबवेल पर चला गया। प्रार्थी का लड़का ट्यूबवेल पर सो रहा था, तभी गांव के रंजीत पटेल पुत्र फूलचन्द्र व बब्लू पुत्र मेवालाल लाठी डण्डा लेकर ट्यूबवेल पर पहुंच कर मेरे लड़के एकलव्य को भद्दी–भद्दी गाली गलौज करते हुए कहे कि पासी मोदरचोद पानी पहले मेरे खेत में लगेगा। प्रार्थी के लड़के ने कहा नम्बर से पानी लग रहा है, तुम्हारे खेत में भी लगेगा, इतनी सी बात को लेकर जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज करते हुए लात–घूसा, लाठी–डण्डा से मारे पीटे और जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये।

5. आवेदक/अभियुक्त का अपने जमानत प्रार्थना पत्र में एवं उसके विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वह निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा रंजिशन फॅसाया गया है। प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में गांव की राजनैतिक रंजिश के कारण फर्जी व झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने न तो वादी मुकदमा के लड़के को मारापीटा है, न ही उसे जान से मारने की धमकी देते हुए समाज के सामने जाति सूचक शब्दों में गालियां दिया है। वादी मुकदमे के लड़के का डाक्टरी परीक्षण कराया गया है, जिसमें सामान्य प्रवृति की चोटें होने का उल्लेख किया गया है। प्रार्थी कभी भी किसी भी न्यायालय द्वारा दोषित नहीं किया गया है। प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र मा० न्यायालय अथवा मा० उच्च न्यायालय मे लम्बित नही है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

6. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त अन्तरिम जमानत पश्चात् आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। एस.सी./एस.टी. एक्ट की धारा को छोड़कर शेष धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। अभियुक्त पर आरोपित अपराध में सात वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में गुणदोष पर बिना विचार किये जमानत का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

8. अभियुक्त **रंजीत पटेल** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा पूर्व में दाखिल जमानतनामें एवं व्यक्तिगत बंधपत्र के अधीन अंकन 20,000/–(बीस हजार) रूपये का नवीन व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

क– अभियुक्त प्रकरण के किसी भी साक्षी को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई धमकी, वचन या प्रवंचन नहीं करेगा और न ही साक्ष्य को विनष्ट करने में किसी प्रकार से लिप्त होगा।

ख– अभियुक्त विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा और वह विचारण के दौरान प्रत्येक तिथियों पर व्यक्तिगत या जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगा।

ग– अभियुक्त, आरोप व धारा–313 दं0प्र0सं0 के चरण पर व्यक्तिगत उपस्थित रहेगा।

घ– उपरोक्त शर्तो की अवहेलना किए जाने पर न्यायालय को यह अधिकार रहेगा कि वह अभियुक्त को दी गयी जमानत के सम्बन्ध में यथाविधि कार्यवाही संचालित करे।

विशेष न्यायाधीश
अ0जा0/अ0ज0जा0(अ0नि0) अधिनियम
कौशाम्बी।

Digitally signed by AMIT MALAVIYA
Date: 2026.06.04 16:35:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court